संख्या ....

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत

शिक्षण संस्थाओं–

''नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल, हाईस्कूल, डिग्री कालेज'' की स्थापना के लिये

शैक्षिक भूखण्डों के निविदा–सह–नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु

विवरण पुस्तिका

(आवेदन पत्र प्राप्त करने की अवधि : विज्ञापन दिनांक से आवेदन करने हेतु नियत दिनांक तक)

मूल्य रूपये 1000/–

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं– ''नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल/जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व डिग्री कालेज'' की स्थापना के लिये शैक्षिक भूखण्डों को निविदा–सह–नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु विनियम एवम् शर्ते–

1. प्राधिकरण की सन्दर्भित सम्पत्ति अर्जित है, भार रहित है एवम् विवाद रहित है।

2. (क) भूखण्डों की स्थितिः–

उपरोक्त योजनाओं की विभिन्न पॉकेटस् में शैक्षिक भूखण्ड उपलब्ध है।

(कृपया देखें– संलग्नक–1)

(ख) पात्रताः–

भूखण्ड आवंटन के लिये निम्नलिखित पात्र होगेः–

(अ) रजिस्टर्ड सोसायटी जिसका मूल उद्धेश्य शिक्षण–संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(ब) रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी जिसका मूल उद्धेश्य शिक्षण–संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (को–आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(स) ट्रस्ट जिसका मूल उद्धेश्य शिक्षण–संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (रजिस्टर्ड/बिना रजिस्टर्ड)।

(द) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो तथा जिसका मूल उद्धेश्य शिक्षण–संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो)।

3. भूखण्डों के लिये तकनीकी व वाणिज्यक ऑफरः–

1. इच्छुक आवेदनकर्ताओं को प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत शैक्षिक भूखण्डों हेतु मुहरबन्द/सीलबन्द तकनीकी व वाणिज्यक ऑफर (दोनों अलग–अलग लिफाफों में) निर्धारित तिथि/तिथियों जिसका/जिनका विवरण, विवरण पुस्तिका के संलग्नक एक में उल्लिखित है, को पूर्वान्ह 11 बजें से अपरान्ह 2 बजें तक प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में रखे टेण्डर बाक्स में डालने होंगे।

2. आवेदक तकनीकी ऑफर के साथ, समिति के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक ट्रस्टी हो तो ट्रस्ट का विलेख व संलग्नक–5 के अनुसार रूपये 10/– के जनरल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र व परीक्षण शुल्क धनराशि रूपयें 1,000/– का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–आर्डर तथा तकनीकी आवेदन पत्र के साथ भूखण्ड के आरक्षित मूल्य की **10%** धरोहर राशि जो कि विवरण पुस्तिका के संलग्नक एक की तालिका के कॉलम सं0 8 में उल्लिखित है एवं रूपये 1,000/– पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट् जो कि उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में मेरठ में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण की वैबसाईट से प्राप्त विवरण पुस्तिका आवेदकों द्वारा

उपयोग में लाने पर रूपये 1000/– प्रति विवरण पुस्तिका, का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ पृथक से संलग्न करना होगा। आवेदनकर्ताओं–समिति/ट्रस्ट आदि को यथावश्यक अन्य कागजात संलग्न करेंगे तथा जिन निविदाओं के तकनीकी आवेदन पत्रों के साथ निर्धारित धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–आर्डर व उपरोक्तानुसार अन्य अभिलेख संलग्न नहीं होगे, उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

3 परीक्षण शुल्क वापस नहीं किया जायेगा परन्तु धरोहर धनराशि ऐसे आवेदकों को, जिनका तकनीकी आवेदन/वाणिज्य आफर स्वीकृत नहीं होगा, बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

4. ऐसे आवेदकों–समितियों/ट्रस्ट की जमा धरोहर जब्त कर ली जायेगी जिनके पक्ष में भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी कर दिया गया हो और समिति/ट्रस्ट द्वारा आवंटन धनराशि जमा न कर पाने के कारण भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया हो अथवा दो किश्तों की देयता पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया हो और ऐसे आवेदकों को पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

5. भूखण्ड की आवंटन धनराशि यदि कोई आवंटी भूखण्ड का आवंटन निरस्त कराना चाहे अथवा प्राधिकरण द्वारा 2 या दो से अधिक किश्तों की बकायादारी पर प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जाये तो धरोहर राशि जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि में **15%** की कटौती करते हुए उनकी जमा धनराशि वापस की जायेगी।

6. आवेदनकर्ता को तकनीकी ऑफर के साथ ''स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तो सहित'' एक मोहरबन्द लिफाफे में डालेंगे। केवल प्राप्त तकनीकी निविदायें उसी दिन सांय 3.00 बजें खोली जायेगी। तकनीकी प्रारूप संलग्नक–2 पर है।

एवं

वाणिज्यिक आफर अलग मोहरबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि/तिथियों जिसका/जिनका विवरण, विवरण पुस्तिका के संलग्नक एक में उल्लिखित है, को पूर्वान्ह 11 बजें से अपरान्ह 2 बजें तक प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में रखे टेण्डर बाक्स में डालेगें। वाणिज्यिक प्रारूप संलग्नक–3 पर है।

4. भूखण्डों की आरक्षित दरें/प्रीमियमः–

नर्सरी, प्राईमरी, हाईस्कूल एवम् इन्टरमीडिएट स्तर तक की शिक्षण संस्थाओं के भूखण्डों की आरक्षित दरें विवरण पुस्तिका के साथ संलग्नक–1 में शासनादेशानुसार नर्सरी से इन्टरमीडिएट तक की शिक्षण संस्थाओं के लिये आरक्षित भूखण्डों हेतु योजना की आवासीय दर का तथा शेष शिक्षण संस्थओं के लिये योजना की आवासीय दर का विवरण पुस्तिका की संलग्न एक पर प्रदर्शित तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित है।

5. भूखण्ड आवंटनः—

(1) राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित शैक्षिक विभाग से शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) तकनीकी ऑफर, उपाध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा उस तिथि को खोले जायेगे जिस तिथि को तकनीकी आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये है। समिति द्वारा तकनीकी आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। ऐसे आवेदक जिनके तकनीकी ऑफर स्वीकार करने योग्य पाये जायेगे उनकी सूची का प्रकाशन प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जायेगा।

(3) नियत तिथि को अपरान्ह 2.30 बजें से सफल तकनीकी आवेदनकर्ताओं जिनकी सूची नियत तिथि पर प्रकाशित हो चुकी हो, के मध्य नीलामी का आयोजन किया जायेगा। नीलामी आवेदन पत्र संलग्नक—4 पर है।

(4) सफल तकनीकी आवेदनकर्ताओं के मध्य नीलामी सम्पन्न हो जाने के पश्चात् सफल तकनीकी आवेदनकर्ताओं की निविदायें खोली जायेगी और जिन सफल आवेदनकर्ताओं की नीलामी/निविदा में उच्चतम् दर प्राप्त होगी, पर शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन समिति की समीक्षा उपरान्त उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

6. भूखण्डों की देय धनराशिः—

(1) भूखण्डों का प्रीमियम निम्न प्रकार देय होगा।

(क) शैक्षिक भूखण्डों की विज्ञापित संख्या, क्षेत्रफल तथा दर्शाया गयी दर अनुमानित है इनमें किसी भी स्तर पर किसी भी समय परिस्थिति अनुसार संशोधन सम्भव है, जो उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता—आवेदक/आवंटी को मान्य होगा। आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम् मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त **10%** धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी और कार्नर पर स्थित भूखण्ड के मूल्य की **10%** अतिरिक्त धनराशि, कब्जा अनुबन्ध/पट्टा विलेख (जो भी पहले निष्पादित हो) के समय देय होंगी।

(ख) कुल प्रीमियम का **25%** धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर देय होगा।

(ग) शेष **75%** धनराशि 5 समान वार्षिक किश्तों में **21%** वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। किश्तें विलम्ब से अदा करने की स्थिति में **24%** वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा। निविदादाता द्वारा किश्तें समय से जमा करने की स्थिति में किश्तों में सम्मिलित ब्याज की धनराशि में से **3.50%** ब्याज की छूट दी जायेगी जिसका आंकलन करके आवंटी स्वेच्छा से आखिरी किश्त में समायोजित करके जमा कर सकता है। प्रथम किश्त, आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर देय

होगी। तद्नुसार ही शेष अगली 4 वार्षिक किश्तें भी देय होगी। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवद्धि ब्याज के रूप में की जायेगी।

(2) यदि भूखण्ड के कुल देय प्रीमियम का भुगतान एक मुश्त आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर कर दिया जाता है तो कुल देय प्रीमियम धनराशि पर **5%** की छूट प्रदान की जायेगी।

(3) आवंटित भूखण्ड के मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् ही नियमानुसार देय स्टाम्प डयूटी के जनरल स्टाम्प पेपर्स पर भूखण्ड का पट्टा विलेख पंजीकृत किया जायेगा।

(4) प्राथमिक स्टेज़ पर भूखण्ड की आवंटन धनराशि समय से जमा न करने पर अथवा किश्तें चालू होने के पश्चात् भूखण्ड की दो या दो से अधिक किश्तों का डिफाल्ट होने की दशा में भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक–समिति/ट्रस्ट/उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता की होगी। ऐसी दशा में कुल जमा धनराशि में से धरोहर राशि जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि का **15%** कटौती के पश्चात् बची हुई धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

7. <u>भुगतान की पद्धतिः–</u>

आवंटित शैक्षिक के निमित देय धनराशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–आर्डर द्वारा जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में मेरठ में देय हो, के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।

8. <u>पट्टे का किरायाः–</u>

प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड लीजहोल्ड माना जायेगा। पट्टे की भूमि की कीमत एवं लाकेशन चार्ज पर **10%** लीजरैन्ट धनराशि 90 वर्ष की पट्टा अवधि हेतु एक मुश्त देय होगी। प्राधिकरण को इसे समय–समय पर प्राप्त शासनादेशों के अनुक्रम में बढ़ाने का अधिकार होगा।

9. <u>भूखण्ड का कब्जाः–</u>

आवंटित पूर्ण विकसित शैक्षिक भूखण्ड का कब्जा, देय प्रीमियम की **50%** धनराशि एवम् देय लोकेशन चार्जेज व लोकेशन चार्ज सहित भूमि के कुल मूल्य का **10%** लीजरैन्ट की धनराशि जमा करने पर कब्जा अनुबन्ध निष्पादित करने के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा। भूखण्ड का कब्जा वास्तविक नाप के अनुसार ही दिया जायेगा।

10. <u>विलेखों का निष्पादनः–</u>

शैक्षिक भूखण्ड के आवंटी को प्राधिकरण के निर्धारित प्रारूप पर पट्टा विलेख, नियमानुसार देय स्टाम्प डयूटी अन्य समस्त व्यय वहन करके, निष्पादित कराकर निबन्धित कराना होगा। भूखण्ड के मूल्य का समस्त भुगतान करने के पश्चात् पट्टा विलेख करने की सूचना पाने के 60 दिन के अन्दर भूखण्ड का पट्टा विलेख निष्पादित कराना होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर पट्टा विलेख निष्पादित न कराने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसी दशा में कुल जमा धनराशि में से धरोहर राशि जब्त करते हुए

शेष धनराशि का **15%** कटौती के पश्चात् बची हुई धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

11. <u>शैक्षिक भवन का निर्माणः–</u>

आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

12. <u>शैक्षिक भवन के निर्माण की अवधिः–</u>

शैक्षिक भूखण्ड धारक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह कब्जा प्राप्ति तिथि/पट्टा विलेख निष्पादित करने की तिथि जो भी पहले हो, से 2 वर्ष के अन्दर शैक्षिक भवन का निर्माण पूर्ण करके शिक्षण संस्था चलाने का कार्य आरम्भ कर दें अन्यथा/अथवा उनका आवंटन उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसी दशा में कुल जमा धनराशि में से धरोहर राशि जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि का **15%** कटौती के पश्चात् बची हुई धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

13. <u>भूखण्ड का प्रयोगः–</u>

आवंटित भूखण्ड का प्रयोग केवल निर्धारित शिक्षण संस्था चलाये जाने के लिये ही किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि शैक्षिक भूखण्ड का प्रयोग अन्यथा किया जा रहा है तो उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी को आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. <u>भूखण्ड का हस्तान्तरणः–</u>

शैक्षिक भूखण्ड की आवंटित भूमि का बटवारा अथवा हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा।

15. <u>कर आदि की देयताः–</u>

शैक्षिक भूखण्ड धारक द्वारा समस्त करों का भुगतान किया जायेगा।

16. <u>प्रबन्ध समितिः–</u>

प्रबन्ध समिति में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के सचिव भी शिक्षण संस्था संचालन प्रबन्ध समिति का सदस्य होगे।

17. <u>सामान्य नियमः–</u>

(1) उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी–समिति/ट्रस्ट को पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में अनुपालन करना होगा।

(2) प्राधिकरण की योजनाओं की अर्जित भूमि पर भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम–1894 (यथा संशोधित) की धारा–18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम–1894 (यथा संशोधित) की धारा–28 ए के तहत कलक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषकों की भूमि दर बढ़ाये जाने की स्थिति में

उपरोक्त शैक्षिक भूखण्ड की भूमि का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी–समिति/ट्रस्ट द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी–समिति/ट्रस्ट से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

(3) प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31–5–2005 के मद सं0 9 के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित शैक्षिक भूखण्डों तथा प्राधिकरण सीमा में स्वीकृत होने वाले विद्यालयों/महा विद्यालयों में प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से दाखिला तथा प्राधिकरण से रियायती दरों पर पूर्व में आवंटित व भविष्य में आवंटित होने वाले शैक्षिक भूखण्डों में निर्मित विद्यालयों/महाविद्यालयों में, प्राधिकरण में कार्यरत् अधिकारियों/समस्त कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में **50%** छूट दी जाय। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि यह सुविधा प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों को भी दी जाये। तद्नुसार आवंटी–समिति/ट्रस्ट द्वारा यह सुविधा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के बच्चों को उपलब्ध करानी होगी जिस पर उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी–समिति/ट्रस्ट सदैव कायम रहेगा और उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी–समिति/ट्रस्ट द्वारा ऐसा न करने पर उसके पक्ष में हुए आवंटन को, बिना किसी सूचना के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

(4) शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 1889/आठ–1–2009–10विविध/04 दिनांक 3–5–2009 के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये है कि समाज के सभी वर्ग के गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चे के लिये **10%** स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना तथा उन्हें कुल निर्धारित देय फीस में **50%** छूट प्रदान करनी होगी। अतः शासन द्वारा जारी उक्त आदेश एवं समय समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन संस्था को करना होगा।

(5) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

(6) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक शैक्षिक भूखण्ड की आरक्षित दर तथा धरोहर राशि निर्धारित है जो संलग्न–1 में उल्लिखित है।

(7) शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन उच्चतम् निविदा/नीलामी के प्रचलित सिद्धान्त पर ''जहाँ है जैसा है'' के तहत किया जायेगा।

(8) निविदा–नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये निविदा द्वारा निस्तारित की जा रही शैक्षिक सम्पत्ति को निविदा/नीलामी से हटाने/स्थगित (निरस्त) करने का अधिकार होगा।

(9) देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।

(10) निविदा/नीलामी के माध्यम से आवेदक संस्था के पक्ष में लीज–डीड का निष्पादन तभी किया जायेगा जब उसके द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी से मान्यता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र विकास प्राधिकरण को नीलामी/नीविदा की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जायेगा और भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी जायेगी। लीज–डीड के निष्पादन की तिथि से 3 वर्षो के अन्दर भवन का निर्माण करना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में लीज–डीड निरस्त कर दी जायेगी।

(11) विज्ञापन शुदा अवशेष शैक्षिक भूखण्डों के सापेक्ष तकनीकी व वाणिज्यक निविदा माह के प्रथम मंगलवार को माँगी जायेगी। सफल तकनीकीदाताओं की नोटिस बोर्ड पर सूची का प्रकाशन द्वितीय मंगलवार को किया जायेगा तथा सफल तकनीकी निविदादाताओं के मध्य नीलामी तीसरे मंगलवार को पूर्वान्ह 11.30 बजें की जायेगी। रिक्त भूखण्डों का विवरण प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा प्राधिकरण वैबसाईट (www.mdameerut.org.in) पर उपलब्ध रहेगा।

(12) किसी भी विषय में विवाद पर, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तो में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता को मान्य होगा।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

<u>निविदा/नीलामीदाता की ओर से घोषणा–</u>

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

....

निविदा/नीलामीदाता के हस्ताक्षर मोहर सहित एवम् पूरा नाम व पताः–

नाम...

पिता का नाम ....

पता...

समिति/ट्रस्ट का नाम ....

पता ....

....

शैक्षिक भूखण्डों के आवंटन हेतु तकनीकी अर्हताओं का मूल्यांकन–

क्र0 सं0	वाँछित प्रपत्र
1.	शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु पंजीकृत संस्था/कम्पनी/सोसायटी/ट्रस्ट का विवरण एवं पंजीकरण की अवधि/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
2.	शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति/गतिविधियों का विवरण दिया जायेगा, संलग्न करें।
3.	पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा पूर्व में चलायी गयी शिक्षण संस्था का विवरण संलग्न करें।
4.	पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा अपनी शिक्षण संस्था से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति के आंकलन हेतु विगत तीन वर्षो की चार्टेड एकान्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स सीट की प्रति संलग्न करें।
5.	पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट भूखण्ड की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा (लिक्विड असेस्टस) का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6.	पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट में कार्यरत् शैक्षिक स्टाफ, अध्यापक एवं अध्ययनरत् छात्रों आदि का विवरण निम्न प्रारूप पर संलग्न करें–

शिक्षण संस्था हेतु पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट में कार्यरत् स्टाफ आदि का विवरण

क्र0 सं0	कार्यरत् शिक्षण संस्था का नाम	कार्यरत् अध्यापक	अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या	कार्यरत् अन्य स्टाफ

संलग्नक–1

मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं हेतु विभिन्न श्रेणी के शैक्षिक भूखण्ड निविदा–सह–नीलमी पद्धति से प्राप्त करने का विवरण

योजना का नाम	निविदा का दिनांक	नीलामी का दिनांक
लोहियानगर, शताब्दीनगर	**09-04-2015**	**17-04-2015**
वेद व्यासपुरी व श्रद्धापुरी	**13-04-2015**	**17-04-2015**
गंगानगर	**16-04-2015**	**17-04-2015**

शैक्षिक भूखण्डों का प्रोग्राम

सभी योजनाओं के तकनीकी व वाणिज्यक निविदायें उक्त दिनांक को पूर्वान्ह 11 बजें से अपरान्ह 2 बजें तक सीलबन्द निविदा बॉक्स में डाली जायेगी जो उसी दिनांक को सांय 4.00 बजें खोली जायेगी। सफल तकनीकी आवेदकों की सूची का प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन उसी दिनांक को तथा सफल तकनीकी आवेदकों के मध्य दिनांक 17.04.2015 को अपरान्ह 2.30 बजें की जायेगी।

देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।

निविदा–नीलामी हेतु स्थान : विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार।

विज्ञापित भूखण्डों के सापेक्ष नियत दिनांक को निविदायें पूर्वान्ह 11.00 से अपरान्ह 2.00 तक निविदा बॉक्स में डाली जायेगी तथा नियत दिनांक को नीलामी अपरान्ह 2.30 बजें से की जायेगी।

- विवरण पुस्तिकायें, आवेदन पत्र सहित प्राधिकरण की वेबसाईट **(www.mdameerut.org.in)** पर उपलब्ध। विवरण पुस्तिका, निविदा–नीलामी में गैर आवासीय सम्पत्तियों हेतु उपयोग लाने पर ₹ 1,000/– प्रति विवरण पुस्तिका का ड्राफ्ट पृथक से देय होगा।

पॉकेट	भूखण्ड सं0	भूखण्ड का प्रयोजन	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर में	कीमत लाखों में	धरोहर राशि लाखों में
वेद व्यासपुरी योजना (शैक्षिक भूखण्ड)						
4बी	**HS**	हाई स्कूल	**2557.46**	**14900**	**381.06**	**38.11**
लोहियानगर योजना (शैक्षिक भूखण्ड)						
डी	**DC**	डिग्री कालेज	**10008.00**	**10600**	**1060.85**	**106.08**
ए	**PS**	प्राईमरी स्कूल	**1156.00**	**10600**	**122.54**	**12.25**
गंगानगर योजना (शैक्षिक भूखण्ड)						
आई	**PS**	प्राईमरी स्कूल	**3400.00**	**11100**	**377.40**	**37.74**
शताब्दीनगर योजना (शैक्षिक भूखण्ड)						
4सी/ए	**NS/PS**	नर्सरी/प्राईमरी स्कूल	**3853.27**	**10600**	**408.45**	**40.84**
4सी/ए	**MI**	मैनेजमेन्ट इस्टीट्यूट	**13480.35**	**10600**	**1428.92**	**142.89**
4बी/बी	**NS/PS**	नर्सरी/प्राईमरी स्कूल	**4580**	**10600**	**485.48**	**48.55**
4सी/सी	**NS/PS**	नर्सरी/प्राईमरी स्कूल	**3150**	**10600**	**333.90**	**33.39**
4सी/ई	**NS/PS**	नर्सरी/प्राईमरी स्कूल	**6844**	**10600**	**725.46**	**72.55**

1. तकनीकी आवेदन पत्र के साथ भूखण्ड के आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत धरोहर राशि जो कि तालिका के कॉलम सं0 8 में उल्लिखित है एवं रूपये 1,000/– पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट् जो कि उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में मेरठ में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
2. वैबसाईट से प्राप्त विवरण पुस्तिका आवेदकों द्वारा उपयोग में लाने पर रूपये 1000/– प्रति विवरण पुस्तिका, का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ पृथक से संलग्न करना होगा।

3. इच्छुक आवेदकों को नियत तिथि पर अपने तकनीकी आवेदन पत्र व वाणिज्यक निविदायें पृथक–पृथक लिफाफों में बन्द करके नियत स्थान पर रखे गये टेण्डर बॉक्स में 11बजे से 2 तक डालना होगा।

4. केवल सफल तकनीकी आवेदनकताओं की सूची के प्रकाशन उपरान्त उनके मध्य नियत तिथि को नीलामी होगी तथा नीलामी समाप्ति पश्चात् उनकी प्राप्त निविदायें खोली जायेगी।

5. *निविदा/नीलामी के माध्यम से आवेदक संस्था के पक्ष में लीज–डीड का निष्पादन तभी किया जायेगा जब उसके द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी से मान्यता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र विकास प्राधिकरण को नीलामी/नीविदा की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जायेगा और भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी जायेगी। लीज–डीड के निष्पादन की तिथि से 3 वर्षो के अन्दर भवन का निर्माण करना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में लीज–डीड निरस्त कर दी जायेगी।*

6. आवंटन पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर शत प्रतिशत भुगतान पर 5 प्रतिशत की छूट। देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।

7. विज्ञापन शुदा अवशेष शैक्षिक भूखण्डों के सापेक्ष तकनीकी व वाणिज्यक निविदा माह के प्रथम मंगलवार को माँगी जायेगी। सफल तकनीकीदाताओं की नोटिस बोर्ड पर सूची का प्रकाशन द्वितीय मंगलवार को किया जायेगा तथा सफल तकनीकी निविदादाताओं के मध्य नीलामी तीसरे मंगलवार को पूर्वान्ह 11.30 बजें की जायेगी। रिक्त भूखण्डों का विवरण प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा प्राधिकरण वैबसाईट (www.mdameerut.org.in) पर उपलब्ध रहेगा।

8. विज्ञापित भूखण्डों के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी किाी भी कार्यालय दिवस में सहायक नगर नियोजक से प्राप्त की जा सकती है।

संलग्नक–2

संख्या ....

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं–''नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल / जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल'' की स्थापना के लिये तकनीकी ऑफर का प्रारूप

आवेदक का पास्पोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो

1. योजना का नाम . . . .

सैक्टर . . . . . . व पॉकेट . . . . . . व आवेदित भूखण्ड सं0 . . . .

क्षेत्रफल . . . . वर्ग मीटर

(यदि आवेदनकर्ता–समिति / ट्रस्ट एक से अधिक योजना में अथवा एक से अधिक भूखण्डों स्कूल स्थापित करने की लिये इच्छुक हो तो उसे प्रत्येक आवेदित शैक्षिक भूखण्ड के तकनीकी आवेदन पत्र व वाणिज्य ऑफर, नीलामी आवेदन पत्र अलग–अलग विवरण पुस्तिका क्रय करके प्रस्तुत करना होगा।)

2. समिति / ट्रस्ट के पदाधिकारी का नाम व पता जिसके माध्यम से समिति / ट्रस्ट की ओर से भूखण्ड के आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है– ....

....

....

3. आवेदनकर्ता समिति / ट्रस्ट का नाम ....

4. (क) समिति इनमें से किसके अन्तर्गत आती है–रजिस्टर्ड सोसायटी / रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी / ट्रस्ट / अन्य और यदि इनसे भिन्न है, का विवरण ....

(ख) पंजीकरण संख्या . . . . .व रजिस्ट्रेशन का वर्ष . . . .

पंजीकरण / नवीनीकरण कब से कब तक की अवधि के लिये मान्य है दिनांक .... से दिनांक .... तक

(ग) समिति / ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पताः– ....

....

....

(घ) समिति / ट्रस्ट के कार्यालय का टेलीफोन नम्बरः कार्यालय .... फैक्स ....

(ङ) प्रबन्धकारीणी सदस्यों के नाम व पतें, शैक्षिक योग्यता व उनके व्यवसाय व पते ....

....

(कृपया पूर्ण विवरण सहित सूची आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय)

5. परीक्षण शुल्क के रूप में जमा धनराशि रूपये 1,000 / – का विवरण –बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / पे–आर्डर संख्या .... जारीकर्ता बैंक का नाम ....

6. आवेदक द्वारा विवरण पुस्तिका प्राधिकरण की वैबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका शुल्क रूपये 1,000/– अदा करने हेतु संलग्न किये जा रहे बैंक ड्राफ्ट की संख्या .... दिनांक .... जारीकर्ता बैंक का नाम ....

7. जमा धरोहर राशि का विवरणः– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–आर्डर संख्या .... दिनांक .... रूपये ....जारीकर्ता बैंक का नाम ....

8. प्रस्तावित शिक्षण संस्था/स्कूल का निर्माण किस वित्तीय श्रोत्रों से प्रस्तावित है :– ....(इसके प्रमाण में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।)

9. आवेदित भूमि के कितने क्षेत्रफल पर निर्माण प्रस्तावित हैः– ....

10. प्रस्तावित शिक्षण संस्था में विद्यार्थियों को क्या–क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगीः– ....

....

....

11. प्रस्तावित शिक्षण संस्था का निर्माण कब तक किया जाना प्रस्तावित है ....

12. प्रस्तावित शिक्षण संस्था के निर्माण के उपरान्त कब से चालाया जाना प्रस्तावित है ....

13. अन्य विवरणः– ....

....

....

नोटः–

(1) शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न करें।

(2) यदि आवेदन ने पूर्व में या वर्तमान में कोई शिक्षण संस्था चलायी हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न किया जाये।

(3) व्यक्ति/संस्था अपनी वित्तीय स्थिति (शिक्षण संस्था से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षो की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न करें।

(4) ऐसे तकनीकी ऑफर, जिनके साथ परीक्षण शुल्क एवम् पंजीकरण धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–आर्डर संलग्न नहीं होगा, बिना कारण बतायें निरस्त कर दिये जायेगें।

घोषणाः–

मैंनें पंजीकरण हेतु दी गयी समस्त शर्ते पढ़ ली है, जो मुझे मान्य है।

....
आवेदनकर्ता पदाधिकारी के हस्ताक्षर
व समिति/ट्रस्ट की मोहर।

संलग्नक–3

संख्या ....

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं–''नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल / जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल'' की स्थापना के लिये वाणिज्यिक ऑफर का प्रारूप

आवेदक का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो

1. योजना का नाम . . . . सैक्टर . . . .

   व पॉकेट . . . . व आवेदित भूखण्ड सं0 . . . . क्षेत्रफल . . . .

   (यदि आवेदनकर्ता–समिति / ट्रस्ट एक से अधिक योजना में अथवा एक से अधिक भूखण्डों स्कूल स्थापित करने की लिये इच्छुक हो तो उसे प्रत्येक आवेदित शैक्षिक भूखण्ड के तकनीकी आवेदन पत्र व वाणिज्य ऑफर, नीलामी आवेदन पत्र अलग–अलग विवरण पुस्तिका क्रय करके प्रस्तुत करना होगा।)
2. समिति / ट्रस्ट के पदाधिकारी का नाम व पता जिसके माध्यम से समिति की ओर से भूखण्ड के आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है– ....

   ....

   ....
3. आवेदनकर्ता समिति / ट्रस्ट का नाम ....
4. प्रस्तावित शिक्षण संस्था के लिये शैक्षिक भूखण्ड के आवंटन हेतु भूखण्ड की निविदित दर का विवरण :–

योजना का नाम	सैक्टर / पॉकेट / फेज	प्रस्तावित भूखण्ड संख्या	प्रस्तावित भूखण्ड का क्षेत्रफल	संलग्नक एक की तालिका के कॉलम 7 के सापेक्ष प्रति वर्ग मीटर निविदित दर जिस पर समिति / ट्रस्ट भूखण्ड आवंटन कराने की इच्छुक है।	
				अंकों में	शब्दो में
1.	2.	3.	4.	5.	6.

....
आवेदनकर्ता पदाधिकारी के हस्ताक्षर
व समिति / ट्रस्ट की मोहर।

संलग्नक–4

संख्या ....

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं–''नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल/जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल'' की स्थापना के लिये नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का पास्पोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो

1. योजना का नाम . . . . सैक्टर . . ..

   व पॉकेट . . . . व आवेदित भूखण्ड सं0 . . . . क्षेत्रफल . . . . . .

   (यदि आवेदनकर्ता–समिति/ट्रस्ट एक से अधिक योजना में अथवा एक से अधिक भूखण्डों स्कूल स्थापित करने की लिये इच्छुक हो तो उसे प्रत्येक आवेदित शैक्षिक भूखण्ड के तकनीकी आवेदन पत्र व वाणिज्य ऑफर, नीलामी आवेदन पत्र अलग–अलग विवरण पुस्तिका क्रय करके प्रस्तुत करना होगा।)

2. समिति के पदाधिकारी का नाम व पता जिसके माध्यम से समिति की ओर से भूखण्ड के आवंटन हेतु भूखण्ड की नीलामी में भाग लिया जा रहा है:– ....

   ....

   ....

   टेलीफोन नम्बर ....

3. आवेदनकर्ता समिति का नाम ....

   ....

   ....

4. क्या आवेदनकर्ता समिति का तकनीकी आवेदन पत्र सफल घोषित किया जा चुका है? यदि हाँ तो कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित सूची का क्रमांक उल्लिखित करें ....

घोषणा:–

मैंनें शैक्षिक भूखण्ड के लिये मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गयी विवरण पुस्तिका में प्रकाशित निविदा–सह–नीलामी की नियम–शर्ते पढ़ ली है, जो मुझे/समिति/ट्रस्ट को मान्य है।

....

आवेदनकर्ता पदाधिकारी के हस्ताक्षर

व समिति की मोहर।

संलग्नक–5

(इसे रूपये 10/– के जनरल स्टाम्प पर टंकित कराकर नोटरी से सत्यापित कराया जायेगा जो तकनीकी ऑफर के साथ संलग्न किया जायेगा।)

समक्ष– उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

शपथ पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... आयु .... वर्ष पूर्ण पता .... शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:–
2. मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... शिक्षण संस्था का/की अधिकृत पदाधिकारी हूँ तथा सम्प्रति में उक्त शिक्षण संस्था का/की ....हूँ तथा यह प्रमाण पत्र देने के लिये सक्षम हूँ।
3. मुझे तथा शिक्षण संस्था को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा शैक्षिक भूखण्ड आवंटित करने की सभी शर्ते मान्य है।
4. मै यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे अथवा शिक्षण संस्था को अथवा उसके पदाधिकारी को शैक्षिक भवन व शैक्षिक भवन की भूमि/उसका का कोई अंश बेचने व गिरवी रखने का कोई अधिकार न होगा और न ही शैक्षिक भवन में अन्य कोई निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण की आज्ञा के बिना किया जायेगा और न ही शैक्षिक भूखण्ड पर निर्मित होने वाले शैक्षिक भवन को किसी अन्य उपयोग में लाया जायेगा।
5. यदि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित शैक्षिक भूखण्ड का मैं अथवा शिक्षण संस्था कब्जा न ले अथवा निर्धारित समय के अन्दर माँगी धनराशि जमा न की जाये अथवा शैक्षिक भूखण्ड का पट्टा विलेख निबन्धित न कराया जाये तथा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त का उल्लघन किया जाता है तो मेरे/हमारे/शिक्षण संस्था द्वारा जमा समस्त धन को उपाध्यक्ष जब्त कर लें तथा शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन रद्द कर दें तथा ऐसी दशा में उपाध्यक्ष को शैक्षिक भूखण्ड पर कब्जा लेने का पूरा अधिकार होगा।
6. शपथ पत्र की धारा 1 से 5 तक मैंने/हमने, जो कथन किया है, वह सब मेरे निजी ज्ञान में सत्य है और प्रस्तुत शपथ पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे/हमारे द्वारा इस शपथ पत्र में किये गये कथन में कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैने कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिक बात छिपाई हो तो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को पूरा–पूरा अधिकार होगा कि शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन, अनुबन्ध/पट्टा विलेख रद्द कर दें और पुनः कब्जा वापस प्राप्त कर लें और मेरे/मेरी संस्था/सोसायटी/ट्रस्ट कें विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें करें उसमें मुझे/मेरी रजिस्टर्ड सोसायटी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी, ट्रस्ट, अन्य को अथवा उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न होगी।

प्रमाणित स्थान–

दिनांक...........................

....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर।